न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 11 / 20 **वर्ष 2020**

जीसीएम संख्या :–2020 / 00088

बउनवानी:–1. बडौदा स्वरोजगार विकास संस्थान(बडौदा आरसेटी) बैंक ऑफ बडौदा, जरिये निदेशक श्री रूपचन्द मीना पुत्र श्री रामकरण मीना निवासी दौसा रोड़ आदर्श नगर सवाईमाधोपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत करमोदा जरिये सरपंच,ग्रा.पंचायत करमोदा जिला सवाईमाधोपुर
2. ग्राम पंचायत करमोदा जरिये सचिव,ग्राम पंचायत करमोदा जिला,सवाई माधोपुर
3. अमजद पुत्र ईमामुद्दीन नाई, नई बस्ती ग्राम करमोदा तहसील व सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व पटटा दिनांक 05.12.2002 द्वारा ग्राम पंचायत करमोदा, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. सुश्री पदमिनी राठौड — वकील प्रार्थी

2. श्री अब्दुल बहाव — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 27.8.2021**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत करमोदा के द्वारा दिनांक 05.12.2002 को अप्रार्थी संख्या 3 अमजद के पक्ष में जारी किये गये पट्टे के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायीं कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जिस भूमि के पट्टे जारी किये गये है उक्त भूमि पर पटटा जारी करने का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई अधिकार नही था तथा अप्रार्थी संख्या 3 जिस भूमि पर काबिज है उस भूमि पर वह अतिक्रमी के रूप में काबिज होने से पट्टा दिनांक 5.12.2002 खारिज होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 18.12.2012 को उक्त भूमि ख0न0 562 मे से 0.40 है0 भूमि आवंटित की जाकर उक्त भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा निगरानीकर्ता को जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 3 को जारी किये गये पट्टे मे कही भी यह अंकित नही किया कि किस भूमि के कौनसे ख0न0 मे उक्त पटटा जारी किया है परन्तु उक्त फर्जी पट्टे की आड में विपक्षी संख्या 3 द्वारा ख0न0 562 पर अतिक्रमण कर रखा है ख0न0 562 किस्म चरागाह है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज है जिस कारण पटटा फर्जी होने से खारिज होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख0न0 562 ग्राम करमोदा चरागाह भूमि है जिसका किसी भी प्रकार का आवंटन राज्य सरकार ही कर सकती है चरागाह भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नही है। उक्त फर्जी पट्टे की आड में निगरानीकर्ता को अप्रार्थी निर्माण कार्य नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

करने दे रहे है। यह तर्क भी दिया कि न्यायालय द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर से उक्त ख0न0 की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गयी जिसके अनुसार अप्रार्थी जिस स्थान का पट्टा बता रहा है उक्त स्थान ख0न0 562 निगरानीकर्ता को आवंटित भूमि है जो कि पूर्व रिकार्ड एवं वर्तमान रिकार्ड के अनुसार चरागाह भूमि है ओर ग्राम पंचायत को चरागाह भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बहार जाकर उक्त पटटा फर्जी तरीके से जारी किया गया है क्योकि उक्त पट्टे से संबंधित कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत करमोदा के कार्यालय मे नही है मात्र केशबुक में पट्टा शुल्क राशि 3344/-रू जमा होने का ही रिकार्ड है जिसमे ख0न0 इत्यादि का अंकन नही होने के कारण उक्त पट्टा अप्रार्थी द्वारा बतायी जा रही भूमि का नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर दिनांक 5.4.2002 से 20.3.2003 तक मे भी अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी करने बाबत कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नही लिया गया है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील निगरानीकर्ता द्वारा निवेदन किया गया।

: विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है मेरे 2 पट्टो को निरस्त करवाने के लिए यह निगरानी पेश की गयी है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे जारी करते समय क्या अनियमितता की गयी है यह न्यायालय को देखना है। क्योकि पुराना ख0न0 230 रकबा 45.19 बीघा मे से 13 बीघा भूमि दिनांक 28.6.2002 को आबादी हेतु सेट अपार्ट की गयी थी जिसमे प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान दिनांक 5.12.2002 को मुझ अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि 2002 से भू-प्रबंध कार्य के दौरान उक्त ख0न0 के कई नये नम्बर बने है। दिनांक 10.2.2012 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर मुझ अप्रार्थी संख्या 3 को बेदखल करने के लिए जाने पर मेरे द्वारा सिविल न्यायालय में दावा पेश किया था जिसमे सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 28.5.2013 को हमारी पट्टाशुद्वा भूमि पर से बेदखल नही करने बाबत पाबंद किया था उक्त स्थगन आदेश के विरूद्व जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत की गयी थी जो दिनांक 11.12.2018 को खारिज कर दी गयी थी। तथा निगरानीकर्ता संस्था द्वारा दिनांक 13.7.2015 को मुंसिफ कोर्ट मे पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है। इस प्रकार उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता को कोई अधिकार नही बनता है तथा सिविल न्यायालय मे उक्त भूमि को लेकर प्रकरण विचाराधीन चल रहे है एवं अप्रार्थी बी.पी.एल. श्रेणी मे है। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 562 चरागाह भूमि है जिसपर अप्रार्थी संख्या 3 को पटटा जारी किया है हमको ख0न0 564/1 पर पट्टा नही मिला है तथा स्थगन समस्त भूमि पर नही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत करमोदा [illegible] के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 5.12.2002 मे कोई विधिक [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज फरमायी जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(निगरानी संख्या 11/2020 बडौदा स्वरोजगार विकास संस्था बनाम ग्राम पंचायत करमोदा)

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम तो अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष मे ग्राम पंचायत करमोदा द्वारा दिनांक 5.12.2002 को जारी किये गये पट्टे से संबंधित कोई भी अभिलेख (केशबुक एवं बैठक कार्यवाही विवरण पंजिका को छोडकर) ग्राम पंचायत करमोदा के कार्यालय मे उपलब्ध नही है। मुताबिक ग्राम पंचायत करमोदा की बैठक कार्यवाही विवरण पंजिका (दिनांक 5.4.2002 से 20.3.2003 तक) में ग्राम पंचायत करमोदा की साधारण सभा की बैठक में उक्त पट्टे की पत्रावलियों पर पट्टा जारी करने बाबत प्रस्ताव लिया गया है किन्तु उक्त पंजिका मे यह अंकित नही है कि कौनसे ख0न0 पर अप्रार्थी को पट्टा दिया जाना है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौका दिनांक 23.2.2021 में भी अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जिस स्थान पर कब्जा कर रखा है वह स्थान ख0न0 2284/562 चरागाह भूमि है तथा उक्त स्थान (ख0न0 562) वर्तमान मे भी चरागाह भूमि है जिसमे से दिनांक 18.12.2012 को जिला कार्यालय द्वारा बडौदा स्वरोजगार विकास संस्थान को भूमि आवंटित की गयी थी। अप्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा आबादी भूमि का होने बाबत किया गया कथन इसलिए सही नही है क्योकि तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम करमोदा में आबादी भूमि ख0न0 2272/564 रकबा 3.29 है0 है तथा अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा ख0न0 2284/562 चरागाह भूमि पर है जिसका वह पट्टा होना बता रहा है। उक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि ग्राम पंचायत करमोदा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 5.12.2002 को जारी किया गया पट्टा ग्राम करमोदा की चरागाह भूमि ख0न0 562 पर ही जारी किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि पर ही पटटा जारी करने का अधिकार है। आबादी भूमि के अतिरिक्त अन्य सिवाचक अथवा चरागाह भूमि पर आबादी विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नही है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में उक्त पटटा जारी किया गया है इसलिए उक्त पट्टा विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत करमोदा द्वारा जारी किया गया आदेश जैर निगरानी विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ग्राम पंचायत मे जमा करवायी गयी पट्टा शुल्क राशि संबंधित को रिफण्ड किये जाने हेतु ग्राम पंचायत स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:18 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर